Court No. - 66

Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 41458 of 2023

Applicant :- Aman
Opposite Party :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Applicant :- Syed Faiz Hasnain,Mohd. Hasham,Syed Riyaz Askari
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Shekhar Kumar Yadav,J.

1. आज विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता मो० इरफान की तरफ से संक्षिप्त प्रति शपथपत्र के साथ वकालतनामा प्रस्तुत किया गया , जिसे पत्रावली पर रखा जाए।

2. वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 278 वर्ष 2022, अन्तर्गत धारा 376D, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(V) S.C./S.T. (P.A.) एक्ट, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक पर यह आरोप है कि उसने अन्य सह -अभियुक्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार किया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एस०एफ० हसनैन, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता मो० इरफान एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फर्जी तरीके से फँसाया गया है , उसने कथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़ता के धारा -161 एवं 164 दं०प्र०स० के कथनों में परस्पर विरोधाभास है। उक्त वाद में सत्र परीक्षण प्रारम्भ हो गया है तथा आज प्रस्तुत संक्षिप्त प्रति शपतपत्र के

अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-2 के रूप में पी०डब्ल्यू०-1 एवं पी०डब्ल्यू०-2 के बयान संलग्न किये गये हैं। सत्र परीक्षण के दौरान पी०डब्ल्यू० -1 (प्रथम सूचनाकर्ता), पी०डब्ल्यू०-2 (पीड़िता) ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने मेरे साथ खेत पर बलात्कार नहीं किया है, न ही यह सब मुझे बुलाकर खेत पर ले गये थे। इस आधार पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण में भी पीड़िता के साथ बलात्कार करने की पुष्टि नहीं होती है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है तथा वह इस प्रकरण में दिनाँक 25.12.2022 से कारागार में निरूद्ध है , इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाए।

6. इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

7. प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत मामले के गुण -दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये मेरे विचार से आवेदक को जमानत पर छोड़ना उचित प्रतीत होता है।

8. तदनुसार आवेदक **अमन** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उसे उपरोक्त अपराध में निम्न शर्तों के साथ सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़ दिया जाए।

(i). आवेदक विचारण के दौरान सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(ii). आवेदक गवाहान को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

(iii). आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से कोई छेड़-छाड़ नहीं करेगा।

9. यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय को यह छूट रहेगी कि वह आवेदक की जमानत निरस्त कर सकेगा।

10. आए दिन न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के मुकदमें आते हैं , जिनमें प्रारम्भ में धारा 376 भा०दं०सं० एवं पॉक्सो एक्ट तथा एस०सी०/एस०टी० एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है , जिस पर विवेचना चलती है तथा पैसे एवं समय दोनों की बरबादी होती है। इस प्रकार के मुकदमें में पीड़िता के घर वाले सरकार से धन भी प्राप्त करते हैं , किन्तु समय बीतने के बाद सत्र -परीक्षण प्रारम्भ होता है, तो वह पक्षों से मिल करके पक्षद्रोही हो जाते हैं , अथवा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते हैं। इस प्रकार से विवेचक एवं न्यायालय के समय एवं धन की बरबादी होती है। इस प्रकार का चलन रुकना चाहिए और जिसने भी ऐसी प्राथमिकी दर्ज करायी है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए।

11. अतः न्यायालय यह आदेशित करती है कि यदि पीड़िता के पक्ष द्वारा जो धन सरकार से लिया गया है , वह उसको ब्याज के साथ वापस करे और संबंधित अधीनस्थ न्यायालय अगर यह पाती है कि विपक्षी पक्ष द्वारा गलत मुकदमा किया गया था , तो उनके विरुद्ध भी अभियोजन की कार्यवाही की जाए। इस आदेश की एक प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय एवं जिलाधिकारी को प्रेषित की जाए कि यदि वर्तमान प्राथमिकी गलत पायी जाती है तो, पीड़िता को मिले धन की राजस्व के रूप में वसूली करके सरकारी खाते में जमा करे और संबंधित अधीनस्थ न्यायालय पीड़िता एवं उसके पक्ष के विरुद्ध अभियोजन चलाये।

Order Date :- 2.2.2024
Pawan Kumar

Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad